

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 284 / 12

संस्थापन दिनांक :- 15 / 06 / 12

फाईलिंग नं. 233504000742012

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

हेमंत पिता मिश्रीलाल मेहरा,
उम्र 28 वर्ष, निवासी हसलपुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 14.06.2012 को शाम 05:30 बजे ग्राम हसलपुर पेट्रोल पम्प के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 11 इंच, फल की लंबाई 6 इंच एवं मूठ की लंबाई 5 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.06.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हसलपुर में पेट्रोल पम्प के पास अभियुक्त हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त ने छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 240 / 12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2012 को शाम 05:30 बजे ग्राम हसलपुर पेट्रोल पम्प के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 11 इंच, फल की लंबाई 6 इंच एवं मूठ की लंबाई 5 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 14.06.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ हसलपुर पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को डराते धमकाते मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 240/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही आयुध होना बताया है जो उसने आप अभियुक्त से जप्त किया था।

6 साक्षी कुवेरसिंह (अ.सा.-1) एवं जाकिर खान (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14.06.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना प्रभारी को सूचना मिलने पर वे थाना प्रभारी के साथ पेट्रोल पम्प हसलपुर गये थे जहां मौके पर अभियुक्त लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। उक्त साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा गया था और उसके कब्जे से लोहे की छुरी जप्त की गयी थी।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विजय एवं कमलेश के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर कुवेरसिंह (अ.सा.-1), जाकिर खान (अ.सा.-2) एवं आर.के. दुबे (अ.सा.

-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर गया था। अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा, छुरी जप्त की और गिरफ्तार करने के उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। जाकिर खान (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह थाना प्रभारी श्री दुबे ने उससे कहा था कि हसलपुर चलो तब वह उनके साथ मौके पर गया था। जब मौके पर पहुंचा तब अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और टीआई दुबे ने जप्ती की कार्यवाही की थी। कुवेरसिंह (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि कस्बा भ्रमण के दौरान हसलपुर में पेट्रोल पम्प के पास अभियुक्त लोगों को छुरी लेकर डरा रहा था। अभियुक्त से उसके समक्ष टीआई दुबे ने छुरी जप्त की थी।

9 आर.के. दुबे (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब अभियुक्त के अलावा कोई भी नहीं था। साक्षी कमलेश और विजय मौके पर ही मिले थे। जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी थी इसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया है। न ही प्रकरण में रोजनामचा सान्हा उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जाकिर खान (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त को घटना स्थल से पकड़ा और सीधे थाना लेकर आ गये थे। इसके बाद उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी उसकी उसे जानकारी नहीं है। कुवेरसिंह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय मौके पर अभियुक्त के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। मौके पर ही अभियुक्त से जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी। इस प्रकार उपर्युक्त पुलिस साक्षियों के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है।

10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.-3) के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। साक्षी आर.के. दुबे, जाकिर खान एवं कुवेरसिंह के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2012 को शाम 05:30 बजे ग्राम हसलपुर पेट्रोल पम्प के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 11 इंच, फल की लंबाई 6 इंच एवं मूठ की लंबाई 5 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त हेमंत को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)